प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ।

सेवा में

- 1 Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum- Labour Court in the State.
- 2. Addl. LC, NCR Gurugram.
- 3. All the officers at Headquarter.
- 4. Joint Director (IS&H), NCR, Gurugram.
- 5. All the Dy. Labour Commissioners in the State
- 6. All the Dy. Directors (IS&H) in the State.
- 7. Dy. Directors Industrial Health, Faridabad and Gurugram.
- 8. All the Assistant Labour Commissioner in the State.
- 9. All the Assistant Director (IS&H) in the State.
- 10. All the Assistant Director (IH) in the State.
- 11. All the Assistant Director IS&H (C) in the State
- 12. Welfare Officer (Women), Faridabad and Panipat.
- 13. All the officials at Headquarter.

क्रमांकः स्था०/2018/ 15135-15248 दिनांकः 25-4-18

विषय:- वर्ष 2016-17 व 2017-18 की वार्षिक गापेनीय रिपोर्टस् भिजवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सरकार द्वारा जारी हिदायतें अनुसार रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर माह अप्रैल की 7 तारीख से पूर्व लिखकर संबंधित समीक्षा प्राधिकारी को भेजनी होती है, जिस पर समीक्षा अधिकारी द्वारा माह अप्रैल की 20 तारीख से पूर्व अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए स्वीकार प्राधिकारी को माह मई की 15 तरीख से पूर्व वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस् को अन्तिम रुप दिया जाना होता है, परंतु कार्यालय के ध्यान में आया है कि विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समय पर प्राप्त नही हो रही है, जिस कारण संबंधित अधिकारियों से सेवानिवृत / स्थानांतरण होने के कारण वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस् को अन्तिम रुप देने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी व अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस् निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—2 मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को समय रहते भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०), कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।